पटना के उच्च न्यायालय में

1918 की सिविल संदर्भ संख्या 2

निर्णय लियाः 12.04.1918

याचिकाकर्तागणः **सम्राट**

बनाम

उत्तरदाताः बीर किशोर राय

विचाराधीन मुद्दाःक्या एक ही मामले में दोनों पक्षों के लिए प्लीडर का कार्य कानूनी व्यवसायी अधिनियम की धारा 13 के खंड (बी) के अर्थ के भीतर घोर रूप से अनुचित आचरण था।

लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट, 1979 के XVIII की धारा 13,–खंड (बी)–1914 का बंधक मुकदमा–इजराय वाद सं.–219/1915–इजराय वाद सं.–347/1914–अधिवक्ता एक ही मामले में दोनों पक्षों की ओर से पेश हुए–क्या एक ही मामले में दोनों पक्षों के लिए अधिवक्ता का कार्य कानूनी प्रैक्टिशनर्स एक्ट की धारा 13 के खंड (बी) के अर्थ के भीतर घोर अनुचित आचरण था।

लागू किया गयाःप्लीडर का आश्वासन स्वीकार्य है कि उसका कोई धोखाधड़ी का मकसद नहीं था, लेकिन यह स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि उसने नियमों की अवहेलना जानबूझकर नहीं थी।यह माना जाता है कि नियमों की उनकी अवहेलना घोर और जानबूझकर की गई थी, और एक चेतावनी मुफस्सिल में बार के सदस्यों पर कानून के प्रावधानों के सख्त पालन की आवश्यकता को प्रभावित करेगी।किसी मुकदमेबाज को नैतिक कलंक या वास्तविक चोट के प्रमाण से जुड़े किसी कार्य को साबित करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जानबूझकर नियमों की अवज्ञा करना पर्याप्त है।

इस विशेष मामले बंधक मुकदमा–1914 में कौन सी सजा दी जानी चाहिए। इजराय वाद सं.–219/1915–इजराय वाद सं.–347/1914–अधिवक्ता एक ही मामले में दोनों पक्षों की ओर से पेश हुए ।

यह इस तथ्य को ध्यान में रखा जाता है कि अधिवक्ता एक युवा व्यक्ति है और उसे केवल चार साल अभ्यास में रहे थे, और उसे अपने अपराध की गंभीरता का एहसास नहीं था।हालांकि इसे की कुछ अवधि के लिए निलंबन लागू करने की आवश्यकता है और इस मामले में केवल एक चेतावनी पर्याप्त नहीं होगी।यह निर्देश दिया गया कि प्लीडर को छह महीने की अवधि के लिए निलंबित किया जाए।

यह अभिनिर्धारित किया गया था कि यद्यपि अधिवक्ता ने किसी अनुचित उद्देश्य से कार्य नहीं किया हो सकता है, लेकिन पेशे के नियमों की घोर लापरवाही और अवहेलना को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है और कानूनी व्यवसायी अधिनियम की धारा 13 (बी) के अर्थ के भीतर व्यावसायिक कर्तव्यों के निर्वहन में घोर कदाचार का गठन किया जा सकता है। कैस। 328; 2 पी. एल. जे. 259; 1 पी. एल. डब्ल्यू. 483; (1917) पैट। 217; 18 Cr.L.J. 803)–चर्चा की गई

पटना के उच्च न्यायालय में

1918 की सिविल संदर्भ संख्या 2

निर्णय लियाः 12.04.1918

याचिकाकर्तागणः **सम्राट**

बनाम

उत्तरदाताः **बीर किशोर राय**

माननीय न्यायाधीश/कोरमः

बी.के. मलिक, सर अली इमाम, के. टी. और थॉर्नहिल, न्यायर्तिगण

अधिवक्ता

अपीलार्थी/याचिकाकर्ता/वादी के लिएः क्राउन के लिए सरकारी अधिवक्ता

उत्तरदाता/प्रत्यर्थी के लिए: पुघ, जी.सी. पाल, लालमोहन गांगुली और गजेंद्र प्रसाद दास

विषयः सिविल

निर्णय

बी.के. मलिक, न्यायमूर्ति

1. यह मामला बीर किशोर राय नामक एक वकील के संबंध में कटक के जिला न्यायाधीश से 1879 के कानूनी व्यवसायी अधिनियम, XVIII के तहत एक संदर्भ से उत्पन्न होता है। विद्वान न्यायाधीश ने प्लीडर को अधिनियम की धारा 13, खंड (बी) के तहत तीन आरोपों का दोषी पाया है और अधिनियम की धारा 14 के तहत मामले को हमारे आदेशों के लिए भेजा है। जाँच लंबित रहते हुए विद्वान न्यायाधीश ने 7 फरवरी 1918 से प्लीडर को प्रैक्टिस से निलंबित कर दिया है।

2. आरोप तीन हैंः––पहला 1914 के एक बंधक मुकदमे से संबंधित है जिसमें वादी की ओर से प्लीडर ने एक वाद पर हस्ताक्षर किए और बाद में, यह प्रतीत नहीं होता है कि कितने समय बाद, प्रतिवादियों में से एक, गिरवीदार की ओर से एक वकालतनामा स्वीकार किया गया और एक लिखित बयान दायर किया जिसमें

उन्होंने गिरवीदार के दावे को स्वीकार किया, हालांकि कई अन्य प्रतिवादियों ने जो गिरवीदार से हस्तांतरणकर्ता थे, इसका विरोध किया। जब मामला मुन्सिफ की डिक्री से अपील पर चला गया, तो यह पता चला कि प्लीडर ने दोनों पक्षों की ओर से काम किया था और उस पर अदालत के ध्यान में लाया गया था, बंधक के लिए प्लीडर, जो प्लीडर के ससुर थे, ने अपने मुवक्किल की ओर से हस्तांतरणकर्ता के साथ समझौता किया और अंत में उस आधार पर मामले का निपटारा किया गया।

3. अगला आरोप अधीनस्थ न्यायाधीश के न्यायालय के 1915 के निष्पादन मामले संख्या 219 से संबंधित है। उस मामले में 15 मार्च 1915 को याचिकाकर्ता ने निर्णय–लेनदार की ओर से एक निष्पादन याचिका दायर की; 10 नवंबर 1915 को उन्होंने निर्णय–देनदार की ओर से एक आवेदन दायर कर बिक्री को रद्द करने के आदेश के लिए प्रार्थना की।

4. तीसरा आरोप कटक के अधीनस्थ न्यायाधीश के न्यायालय के 1914 के निष्पादन मामले संख्या 347 से संबंधित है। उस मामले में प्लीडर ने 2 अप्रैल 1914 को डिक्री–धारक की ओर से एक निष्पादन याचिका दायर की; 9 मार्च 1915 को वह सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XXI, नियम 58 के तहत एक दावेदार की ओर से पेश हुए, जिसका दावा 10 मार्च 1915 को खारिज कर दिया गया था। बिक्री 16 मार्च 1915 को आयोजित की गई थी, और 13 अप्रैल 1915 को उसी प्लीडर ने निष्पादन बिक्री को रद्द करने के लिए निर्णय–देनदारों की ओर से एक याचिका दायर की थी।

5. बंधक मुकदमे के साथ–साथ दो निष्पादन मामलों में प्लीडर के ससुर विपरीत पक्ष में लगे हुए थे। यह आग्रह किया जाता है कि वकील का वकालतनामा पर हस्ताक्षर करने और एक ही मामले में दोनों पक्षों के लिए कार्य करने का आचरण कानूनी व्यवसायी अधिनियम की धारा 13 के खंड (ख) के अर्थ के भीतर घोर अनुचित आचरण था। याचिकाकर्ता का स्पष्टीकरण है कि उसने लापरवाही से काम किया लेकिन किसी अनुचित उद्देश्य से नहीं और निष्पादन के दो मामलों में, जैसे ही अदालत द्वारा मामला उसके संज्ञान में लाया गया, उसने तुरंत अपना खेद व्यक्त किया और फैसले–देनदारों की ओर से मामले में आगे कोई भाग लेने से इनकार कर दिया। प्लीडर की ओर से श्री पुघ आग्रह करते हैं कि धारा 13 के अर्थ के भीतर घोर अनुचित आचरण का अर्थ नैतिक अधमता से युक्त आचरण है और यह उस पेशे के नियमों की लापरवाही के मामलों तक नहीं सीमीत है जैसे कि प्लीडर पर अब आरोप लगाया गया है। अब, कानूनी पेशे की अन्य शाखाओं के संबंध में नियम जो भी हो, जहाँ तक वादियों का संबंध है, ऐसा लगता है कि इस न्यायालय में दो वादियों के मामले में विशेष पीठ के फैसले से मामला सुलझा लिया गया है। 41 इंड कैस। 328; 2 पी. एल. जे. 259; 1 पी. एल. डब्ल्यू. 483; (1917) पैट। 217; 18 बी.एल.जे. 803.उस मामले में मामला आदेश III, नियम 4, उपखंड (2) पर चला गया, जो यह अधिनियमित करता है कि "एक वादी की प्रत्येक नियुक्ति, जब

स्वीकार की जाती है, तो अदालत में दायर की जाएगी और जब तक कि अदालत की अनुमति से निर्धारित नहीं किया जाता है, तब तक प्रभावी माना जाएगा, मुवक्किल या प्लीडर द्वारा हस्ताक्षरित एक लेखन द्वारा, जैसा भी मामला हो, और अदालत में दायर किया जाता है या जब तक मुवक्किल या प्लीडर की मृत्यु नहीं हो जाती है या जब तक मुवक्किल के संबंध में मुकदमे की सभी कार्यवाही समाप्त नहीं हो जाती है। "उपरोक्त मामले में विशेष पीठ द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि भले ही वादी ने किसी अनुचित उद्देश्य से कार्य नहीं किया हो, लेकिन पेशे के नियमों की घोर लापरवाही और अवहेलना को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है और कानूनी व्यवसायी अधिनियम की धारा 13 (बी) के अर्थ के भीतर पेशेवर कर्तव्यों के निर्वहन में घोर कदाचार का गठन किया जा सकता है। याचिकाकर्ता अपने स्पष्टीकरण में आग्रह करता है कि उसका किसी भी व्यक्ति को धोखा देने का कोई इरादा नहीं था और वास्तव में न तो बंधक मुकदमे में वादी और न ही निष्पादन मामलों में निर्णय–लेनदारों ने अब तक उसके आचरण के संबंध में कोई आपत्ति जताई है। वह आगे हमारे ध्यान में लाते हैं कि यह कार्यवाही उनके एक बर्खास्त क्लर्क द्वारा प्रदान की गई जानकारी पर शुरू की गई है। हम प्लीडर के इस आश्वासन को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं कि उनका कोई धोखाधड़ी का मकसद नहीं था, लेकिन हम इस स्पष्टीकरण को स्वीकार नहीं कर सकते कि नियमों की उनकी अवहेलना जानबूझकर नहीं थी। हमारी राय में नियमों की उनकी अवहेलना घोर और जानबूझकर की गई थी, और हमें नहीं लगता कि केवल एक चेतावनी का मुफस्सिल में बार के सदस्यों पर कानून के प्रावधानों के सख्त पालन की आवश्यकता को प्रभावित करने का प्रभाव पड़ेगा। हम श्री पुघ के इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि वादी को धारा 13 के तहत सजा के लिए उत्तरदायी बनाने के लिए, यह साबित करना पर्याप्त नहीं है कि उसने जानबूझकर नियमों की अवज्ञा की है, लेकिन यह कि कोई ऐसा कार्य होना चाहिए जिसमें नैतिक कलंक या वादी को वास्तविक आहत का सबूत शामिल हो। यह कि हमारे विचार में वह कानून नहीं है जिसकी व्याख्या इस न्यायालय में की गई है। ऐसा होने पर, एकमात्र सवाल जिस पर हमें विचार करना है वह है इस विशेष मामले में दी जाने वाली सजा। हमने इस तथ्य को ध्यान में रखा है कि प्लीडर एक युवा व्यक्ति है, जिसने अपराध करने के समय व्यवहार में केवल चार साल थे, कि वह शायद अपने ससुर के मार्गदर्शन में काम कर रहा था और उसे अपने अपराध की गंभीरता का एहसास नहीं था। हालाँकि, हम सोचते हैं कि हमें निलंबन की कुछ अवधि लागू करनी चाहिए और इस मामले में केवल एक चेतावनी पर्याप्त नहीं होगी। हम निर्देश देते हैं कि प्लीडर बाबू बीर किशोर राय को 7 फरवरी 1918 से छह महीने की अवधि के लिए निलंबित किया जाए।

सर अली इमाम, करी न्यायमूर्ति

मैं सहमत हूँ।

थोर्नहिल, न्यायमूर्ति

मैं सहमत हूँ।

खण्डन (डिस्क्लेमर):– स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।